न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 2/2018/टीए

1. रोशनलाल पिता भैरूलाल सालवी
2. डाडमचन्द पिता भैरूलाल सालवी
   दोनो निवासी सरथला तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ
3. सुमित्रा पुत्री भैरूलाल सालवी
   निवासी सरथला हाल मुकाम भाणुजा तहसील
4. गणेशी बाई बेवा भैरूलाल सालवी
   निवासी सरथला तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. हरनारायण पिता रामचन्द मोची
2. उप–पंजीयन तहसीलदार तहसील छोटीसादडी

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध आदेश न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी
दिनांक 017.01.2018 प्रकरण सं. 79/2017

उपस्थित – 1. श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री कैलाश उपाध्याय – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1

निर्णय दिनांक– 28.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट वादी ने एक दावा इस आशय का पेश किया कि मौजा मलावदा पटवार हल्का गोमाना तहसील छोटीसादडी की आराजी नम्बर 102 रकबा 0.25 है0 यह भूमि है जो राजस्व अभिलेखो मे भेरूलाल पिता रामलाल सालवी निवासी सरथला तहसील बडीसादडी के नाम खातेदारी मे दर्ज है। दावे के अनुसार वादी ने यह तथ्य उल्लेखित किया कि उक्त आराजीयात भेरूलाल पिता रामलाल सालवी ने दिनांक 13/06/2013 को 48,00,000/– रू. मे प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को विक्रय कर दी और विक्रय की रकम प्राप्त कर एक स्टाम्प भी अनुबन्ध के रूप मे वादी रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे निष्पादित कर दिया व कब्जा भी सुपुर्द कर दिया और भेरूलाल ने अनुबन्ध की अनुपालना मे विक्रय पत्र का पंजीयन कराने का आश्वासन दिया था। भैरूलाल पिता रामलाल सालवी की अभी हाल मे ही मृत्यु हो चुकी है और विपक्षीगण अपीलान्ट भेरूलाल के वारिस है उन्होने अनुबन्ध की पालना मे विक्रय पत्र की

रजिस्ट्री कराने से इंकार से इंकर कर दिया। इसलिये खातेदारी क घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी के यहां दिनांक 04/12/2017 को पेश किया। इस दावे के साथ एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु भी पेश किया । अपीलान्ट विपक्षी को इस एक पक्षीय आदेश की जानकारी हई एवं उन्होने शीघ्र सुनवाई हेतु एवं आदेश 39 नियम 4 जा0दी0 के तहत एक पक्षीय आदेश को निरस्त करने हेतु आवेदन पेश किया एवं मूल प्रार्थना पत्र का जवाब भी दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षो को सुनकर बगैर किसी आधार के दोनो ही प्रार्थना पत्र खारीज कर दिये और पत्रावली दिनांक 06/03/2018 को मुर्कर कर दी जबकि दोनो ही प्रार्थना पत्र मे मेरिटस के बहस कर ली गयी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बगैर कोई फाईडिग दिये आदेश 39 नियम 4 जा0दी0 एवं शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय मे मूल प्रार्थना पत्र के जवाब मे उनके पिता द्वारा निष्पादित अनुबन्ध किये जाने के तथ्य से इंकार किया है और न ही उन पर भैरूलाल के हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने मे पूर्व सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्टया प्रकरण और अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विचार नही किया । अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक खातेदार भैरूलाल को विरासत कार्यवाही को परोक्ष रूप से स्टे दे रखा है और नामान्तकरण की कार्यवाही रूकी हुई है। भैरूलाल रिकार्डेड खातेदार है स्वीकृत तथ्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 04/12/2017 एवं 17/01/2018 अपास्त कर एक पक्षीय पारित स्टे आर्डर वेकेट किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया किसी भी राजस्व न्यायालय मे नोटेरी से तस्दीकशुदा किसी दस्तावेज के आधार पर स्थगन जारी करने का अधिकार नही है। इस प्रकरण मे सिविल न्यायालय मे वाद प्रस्तुत हो चुका है जिसमे स्थगन प्रार्थना पत्र भी विचाराधीन है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया एक तरफा स्थगन आदेश निरस्त होने योग्य है। इसकी ताईद मे साईटेशन 2017(2) आरआरटी पेज 1100 प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अप्रार्थीगण के इकरारनामा दिनांक 13/06/2013 को देखते हुए ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर एक तरफाक स्थगन आदेश पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट खारीज होने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि यह प्रकरण सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे आता है। जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित आदेश अपास्त होने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी द्वारा प्रकरण संख्या 79/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 17/01/2018 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पुनः सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ